

मुन्नालाल / रामनिवास

212

21

2-17/00059

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या : 26/2017

बमुक0 मुन्नालाल बनाम रामनिवास बगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
212 आर टी एक्ट

12.04.2017 प्रार्थना पत्र बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ। वकील सायल उपस्थित। वकील सायल को सुना। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.05.2017 को पेश हो।

*[Signature]*  
उपखण्डाधिकारी  
सैपऊ, बीकानेर

29-6-17 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/ केम्प कोर्ट अदालत सेवा केन्द्र पिपहेरा पर पेश हुई। साथल व गैरसायल सं. 1, 2, 3, 4, 5 तथा गैरसायल सं. 4 वाबजूद लागू नहीं। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी पक्षकारों के संयुक्त स्वाक्षरी की आराजी है। सभी पक्षकारों के हित निहित है। अतः न्यायालय में भूलवाद के निरन्तर तब उभागत हो जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना है किंतु विवादित आराजी सं. नं. क्र. 752, 757, 774, 775, 802, 803, 805, 813, 814, स्थित ग्राम जारौली पर रिटॉर्ड सं. नों. 81 मथाक्षिणी बन्नामे रखे। आज पत्रावली केसल सुगर होवर भूलवाद की पत्रावली के साथ संलग्न है।

रामनिवास

हरीलाल

रामबाबु  
नाथनरि  
मुन्नालाल

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ  
न्यायालय अधिकारी लोक अदालत, केम्प कोर्ट  
ग्राम पिपहेरा